

चाहिए, इसलिए उन्हें रोजगार देने का प्रश्न नहीं उठता।

तथापि सीमावर्ती राज्यों की कुछ सरकारों ने सूचित किया है कि कुछ डाक्टर और चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति पूर्वी बंगाल से आये हैं और शिविरों में रह रहे हैं, राज्य सरकारों का प्रस्ताव है कि मानदेय देकर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। यह सहमति हुई है कि सुरक्षा की दृष्टि से उनके पूर्ववृत्त इत्यादि का सत्यापन करने के बाद दैनिक पारिश्रमिक देकर अस्थाई उपाय के रूप में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए।

(ख) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1969-71 के दौरान मध्य प्रदेश में गेहूँ, चावल तथा कपास की पैदावार

608. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान मध्य प्रदेश में गेहूँ, चावल तथा कपास की कितनी पैदावार हुई ;

(ख) गेहूँ, चावल तथा कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को किस प्रकार की तकनीकी सहायता दी है ; और

(ग) राज्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार को भविष्य में किस सरकार की सहायता प्रदान करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय

अन्तिम अनुमान के अनुसार, मध्यप्रदेश में कृषि वर्ष 1969-70 के दौरान, गेहूँ, कपास और चावल के उत्पादन अनुमान निम्न प्रकार थे :—

गेहूँ	: 2, 216.0 हजार मीटरी टन
कपास	: 313.7 " गाठें (प्रति गांठ 180 कि० ग्राम)
चावल	: 3, 201.6 " मीटरी टन

वर्ष 1970-71 के ऐसे ही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को नवीनतम अनुसंधान परिणामों तथा खेत के अनुभवों की जानकारी दी और इन फसलों के लिए पैकेज पद्धतियां अपनाने में उनकी सहायता की। इसके अतिरिक्त, कीटों तथा रोगों का पता लगाने में और उनके सामयिक नियंत्रण उपाय करने में भी सहायता की। राष्ट्रीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया और कर्मचारी वर्ग तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम आयोजित करने में भी सहायता की गई। केन्द्र के तकनीकी विशेषज्ञ समय-समय पर राज्य में जाते रहे और उनके खेतों से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को हल करने में राज्य सरकार की सहायता की।

(ग) उपरोक्त तकनीकी सहायता के अतिरिक्त, राज्य सरकार को बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देना जारी रखा जाएगा। बीज तथा कीटनाशक औषधियों की खरीद के लिए और उर्वरकों आदि के विपणन तथा वितरण हेतु अल्पकालीन ऋण भी स्वीकृत किए जाएंगे। बहुउद्देश्यीय फसल योजना आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकार की सहायता करेगी।